

30-6-22

पतावली में डे/वकील प्रकाश आशुभासिन।  
वकील नारीगण प्रार्थना एवं वकील अपाथीगण  
एवं अपाथीगणों को न्यायालय समक्ष का बंधन  
आवाज लगवाइ गई लेकिन कोई उपासीत नहीं  
हुए/अरमा-से प्रार्थना अनसु दिये जाने पर -  
अपार्थीगणों की तबीयत हेतु तलबाना नौरिस पेश  
नहीं किये गये हैं।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11-  
128 स्त-आर-एनए प्रार्थना अनसु दिये जाने पर भी  
अपार्थीगणों की तबीयत हेतु तलबाना नौरिस पेश  
नहीं करने के अभाव में अन्तर्गत आदेश 09-  
निमम 05 के तहत कार्रवाई किया जाता है।

पतावली के सल हुमाद होकर नम्बर से लम होकर  
याचित दफ्तर हो। निर्णय पुके न्यायालय में  
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
संथर लेक

